राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय, जोधपुर

– : बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व : –

1 बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) सुनिश्चित करेंगे कि बैंक मित्र तथा बैंक सखी को आवंटित ग्राम में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान की जा रही है।

2 बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) सुनिश्चित करेंगे कि बैंक मित्रों तथा बैंक सखियों को अपने कर्तव्य, उत्तरदायित्वों तथा कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी है तथा उनके द्वारा तदनुसार ही कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

3 बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) सुनिश्चित करेंगे कि बैंक मित्र तथा बैंक सखी, बैंक द्वारा जारी नये उत्पाद की विस्तार से सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ बैंक के नियमों एवं इसमें हुए संशोधनों की भी जानकारी ग्राहकों को प्रदान कर रहे है।

4 बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) ग्रामों की यात्रा के दौरान ग्राहकों से प्राप्त सुझाव/शिकायत पर संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रतिक्रिया (Feed back) देना सुनिश्चित करेंगे।

5 बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) प्रत्येक सप्ताह दो अथवा तीन ग्रामों की यात्रा कर बैंक मित्रों एवं ग्रामवासियों से सम्पर्क करना सुनिश्चित करेंगे।

6 यात्रा के दौरान गाँव में बैठक का आयोजन कर ग्रामवासियों को बैंक मित्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बैंकिंग सेवाओं के बारे में विस्तार से बताना व जागरूक बनाना होगा तथा ग्रामजनों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की विस्तृत चर्चा कर ग्रामजनों को प्रोत्साहित करना।

7 प्रतिमाह प्रत्येक बैंक मित्र तथा बैंक सखी द्वारा निष्पादित कार्यों की समीक्षा तथा बाधाओं पर नियन्त्रण कर व्यवसाय अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना।

8 बैंक मित्र पर्यवेक्षक (BC Supervisor) यह सुनिश्चित करे कि :–

(ए) प्रत्येक बैंक मित्र प्रतिदिन न्यूनतम 5 खाते खोलते हुए अधिकाधिक संव्यवहार करे।

(बी) जिस गाँव में बैंक मित्र अथवा बैंक सखी कार्यरत है वहाँ के प्रत्येक परिवार में से कम से कम परिवार के एक सदस्य का खाता अनिवार्य रूप से खोले।

(सी) प्रत्येक बैंक मित्र तथा बैंक सखी प्रतिदिन Out Let खोलकर कार्य करता/करती है अथवा नहीं।

(डी) क्या बैंक मित्र अथवा बैंक सखी के द्वारा आधार की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर संबंधित लिंक शाखा को प्रेषित कर रहे है अथवा नहीं। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सभी खातों में आधार Seeding हो रही है अथवा नहीं।

(ई) बैंक मित्र अथवा बैंक सखी के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से संबंधित आवेदन पत्रों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं।

9 यदि किसी बैंक मित्र अथवा बैंक सखी द्वारा निर्धारित नियमों व प्रतिमानों के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है अथवा धोखाधड़ी व गबन की आशंका होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय व प्रधान कार्यालय को सूचित कर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करना।

10 अन्य कोई भी आवश्यक कार्य जोकि प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्देशित किया जावे।

- X - X - X -